



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No.2017/HQ/Admin/RTI-120

New Delhi: 11.07.2017

**Sh. Griraj Singh,
Village Nagla Gogul,
Bharan, Tehsil Etmadpur,
Distt. Agra
U.P-283202**



Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।
Providing information under the RTI Act 2005
Ref: Original application dt. 13.06.2017 received on 13.06.2017 through
CPM/Tundla office from Shri Griraj Singh R/O Agra, U.P

The Information received from the concerned office is as under:

प्राप्त उत्तर/received reply:

क्र सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	<p>प्रार्थिया जिस मकान में अपने तीनों पुत्रों व बच्चों के सथ रह रहा है उस मकान का अधिग्रहण रेल परियोजना द्वारा अधिग्रहण किया गया है और उस मकान व जमीन को अधिग्रहण करने के एवज में केवल प्रार्थिया को ही मुआवजा राशि मिल रही है जब कि शासनादेश के अनुसार मेरे अतिरिक्त मेरे शादी शुदा एवं बेरोजगार तीनों पुत्रों को भी मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। शासनादेश की छायापति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया को जो मुआवजा राशि मिल रही है वह भी सर्किल रेट से बहुत कम है। उसका पुनः सर्वे कराकर उचित मुआवजा राशि मुझ सहित मेरे शादी शुदा तीनों पुत्रों को भी मुआवजा राशि देने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त आपका ध्यान एक बिन्दु पर आकर्षित करना चाहती हूँ। वह भी यह है कि भूमि अधिग्रहण के पूर्व अधिकारियों द्वारा यह बताया गया था कि विधवा या विकलांग व्यक्ति को प्रत्येक माह पेन्शन के रूप में जीवनपर्यन्त एक सुनिश्चित राशि दी जायेगी और इनके परिवरीजन जो नौकरी योग्य होंगे उन्हें नौकरी प्रदान की जायेगी। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मुआवजा की राशि को पुनः सर्वे कराकर मुझ सहित तीनों पुत्रों को मुआवजा राशि प्रदान की जाये इसके अतिरिक्त पेंशन देने एवं मेरे पुत्र जो नौकरी के योग्य हैं और बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी देने की कार्यवाही अतिशीघ्र आपके कार्यालय के लिए उपरोक्त समस्या की आवेदन प्रति दी जा</p>	<p>डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम बरहन के नगला गोकुल में अधिग्रहीत भूमि पर अवस्थित मकानों का भुगतान सभी प्रभावित मकान स्वामियों के द्वारा (सिर्फ प्रार्थियों को छोड़कर) प्राप्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त भी आज तक मुआवजा प्राप्त करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की है। उपरोक्त अर्जित भूमि का अधिग्रहण की कार्यवाही के समय अपरजिलाधिकारी भू0अ0 आगरा के द्वारा जिला आगरा के अर्न्तगत किसी भी परियोजना की अधिकतम दर रु 648/- प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि का प्रतिकर एवं लोक निर्माण विभाग आगरा के द्वारा उपरोक्त समय में जारी मकानों की मूल्यांकन दरों के आधार पर मकानों का मूल्यांकन किया गया था। जिसके प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही कार्यालय अपरजिलाधिकारी भू0अ0 आगरा के द्वारा की जाती है। जिसमें प्रार्थी द्वारा</p>



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

चुकी है परन्तु आपके विभाग से प्रार्थीया के हित में कोई आवष्यक नही की गयी है तो प्रर्थिया पुनः आपके कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2017 के माध्यम से श्रीमान मुख्य परियोजना प्रबंधक अधिकारी डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना पता 3/20 तृतीय मजिल के0पी0एस0 टावर, मयूर काम्पलैक्स, नगला पदी, जनपद आगरा-282002 में उपस्थित होकर द्वितीय प्रार्थना पत्र जिसमें श्रीमान अरविन्द वर्मा जी सचिव भूमि अधिकारी जिनका मो 9897478103 है जिनको मूल समस्या बतायी जिसमें आवष्यक कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न कर का हवाला देते हुए प्रर्थिया एवं प्रर्थिया के पुत्र ने अपने परिवार की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुये श्रीमान अरविन्द वर्मा जी के समक्ष अपनी समस्या रखी लेकिन उपस्थित अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि तुम को कब्जा छोडना ही होगा और केवल मुआवजा सवित्रीदेवी के नाम से ही मिलेगा वो भी बिना ब्याज के। यह मुआवजा आपको जबरदस्ती लेना होगा जिस पर पुनः हमने परिवार गंभीर स्थिति बंया करते हुए बडी नम्रता से अधिकारगण से अपनी विनती कर मुआवजा दिलाया जाना प्रर्थिया के न्याय हित में उचित होगा क्यो कि प्रर्थिया का परिवार पूर्व से पिछडा चला आ रहा है। लेकिन श्रीमान अरविन्द वर्मा जी द्वारा मौखिक रूप बार-बार यही कहा गया कि तुमको कब्जा छोडना ही होगा और केवल मुआवजा सवित्रीदेवी के नाम से ही मिलेगा और पुन- शक्ति के साथ धमकाते हुए कहा गया कि यह गरीबी बेरोजगारी विधवापन व पेंषन जैसी आपकी माँग की हमारे पास कोई जिम्मेदारी नही है आपकी ऐसी माँगे बिल्कुल ही पूरी नही की जायेगी और न ही आपकी ऐसी स्थिति का हम पर कोई फर्क पडता है जिसके सम्बंध में तुम लोग हमको परेषान मत करों। यदि हमारा मूड बदला गया तो हम जो मुआवजा मिल रहा है वो भी नही मिलने देंगे क्यो कि मुनले जिस भूमि पर मकान बना रखा है वह ग्राम पंचायत की भूमि है। तो श्रीमान जी से हमने पुनः विनती की यह मकान हमारा दादा पर दादा के समय से बना हुआ है जिसकी आवंटन की रसीद भी हमारे पास सुरक्षित है। तो अधिकारी द्वारा कहा कि फिर भी हम आपको हिदायत देते है कि तुम लोग जो मुआवजा मिल रहा है यह चुपचाप बिना कुछ कहे ले लो और अतिरिक्त मुआवजा की माँ मत करो अन्याय अच्छा नही होगा क्योकि तहसील स्तर से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक हमारे लिंक है और इस प्रकार की मुआवजा की माँग करके आप कोई फायदा नही ले सकते क्यो कि इन विभागो के लिए हमारी कंपनी अतिरिक्त पैसा खर्च करती है। और आप जैसे लोगों से इनके सहारे से कब्जा को

मकान की मूल्यांकन राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही नही की गई है। उपरोक्त परियोजना द्वारा प्रभावित मकानो के स्वामी के देय लाभ राशि जैसे-पशुषाला के निर्माण हेतु रू0 15,000-यात्रा भत्ता हेतु रू0 4,000/- स्थानान्तरण भत्ता हेतु 10,000/-प्रार्थीया विधवा अनुदान राशि 46,800/-व प्रत्येक प्रभावित भू-स्वामी को एक्सग्रेसिया धनराशि रू 20,000/- कुल देय लाभ धनराशि रू0 95,800/- का भुगतान प्रार्थी द्वारा चेक संख्या 020248 जारी दिनांक 23.03.2017 द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। उपरोक्त परियोजना में प्रभावित किसानों को नौकरी देने का कोई भी प्रावधान नही है।



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

जबरदस्ती ले लेते हैं और इसके बाबजूद भी कानूनी सम्बन्धी हमारी कम्पनी को जरूरत पड़ती है तो कर्मचारी के रूप में वकील जैसे लोगो को विभाग में कर्मचारी कार्य पर रख लिया जाता है जिससे वह समय-2 पर कानूनी सम्बन्धी जानकारी एवं आप जैसे लोगों के कार्य से बाधा उत्पन्न करते हुए अपनी अहम भूमिका निभाता है इस लिए तुम लाग गरीब लोग हो तुम लोगों को जितना पैसा मिल रहा है उसको चुपचाप रख लो हमें अतिरिक्त परेषान मत करो हम जैसा कहते हैं उसी के मुताबिक हमारी मन मर्जी चलती है इस सम्बन्ध में हमने पत्र में भी कई एक दो किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया है जबकि उनकी भूमि का अधिग्रहण हमारे द्वारा किया गया जब कि भूमि में उनके नाम भी थे और कब्जा भी था। हमने उनका कब्जा जवरन हटवा दिया और मुआवजा भी नहीं दिया जअ वह लोग अनुसूचित जाति के किसान थे जो कि भारतीय सविधान में अतिरिक्त प्रावधान का दर्जा दिया गया है तुम क्या बेचते हो जब कब्जा लेने पर आयेंगे तो एक दो घन्टे में कब्जा लेकर दिखा देंगे क्योंकि हमारा प्लान काफी हद तक उचां और बडा और मजबूत होगा और तुम्हारी लिखा पढी पत्राचार शिकायतें आदि भी कुछ भी काम में नहीं आयेंगी और रददी की टोकरी में पडी होगी इसलिए हम तुम्हे अन्तिम बार समझा रहे हैं कि जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो अन्यथा यह भी हाथ से निकल जायेगा तू एक गरीब महिला है इसलिए तुम्हे समझा रहे हैं और जो तू लिखपढी कर रही है उसमें भी तेरे समय और धन की हानि हो रही है इसलिए और समझा रहे हैं। प्रार्थना पत्र देने के लिए बहुत कहा तो बडी मिन्नतों के साथ उपस्थिति हस्ताक्षर रजिस्टर पर बडी मुष्किल से हस्ताक्षर करने दिये और रिसीविंग भी प्रार्थना पत्र की हाथ जोडने के बाद दी लगभग विभाग में दो घन्टे तक बैठे रहे लेकिन बैठने वाले स्थान पर या गेट के बाहर आने वाले अतिथियों के लिए विभाग नें पानी पीने के लिए भी उचित प्रबन्ध नहीं कर रखा है और ना ही पानी पिलाने के लिए कोई चपरासी नहीं रखा है जिससे आने वाले व्यक्ति या अतिथि सेवा पूर्ण नहीं होती है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एवं पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एवं उसके साथ संलग्न आवष्यक छायाप्रति कार्यवाही के सम्बन्ध में आवष्यक नियमानुसार कार्यवाही कर सूचना बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करायें उपरोक्त विभाग द्वारा हम गरीब मजदूर वर्ग भूमिहीन विधवा एवं अतिसंवेदनशील परिवार के साथ इस प्रकार का शोषण व उत्पीडन व अनुचित दबाव किन नियमों के ननुसार किया जा रहा है। जिनका साक्ष्य सहित प्रमाण दें। अगर यह जानबूझकर किया जा रहा है तो इनके प्रति क्या कार्यवाही होगी उसकी प्रति नियम व साक्ष्य

	सहित उपलब्ध करायें	
2	उपरोक्त आवेदन के सम्बन्ध में श्री अरविन्द वर्मा जी के द्वारा उक्त दिनांक में उपस्थित होकर कहा गया क्या यह भारतीय संविधान के नियमों का व न्याय का पालन करता है यदि करता है तो उसकी प्रति नियम व साक्ष्य सहित उपलब्ध करायें यदि नहीं करता है तो वह प्राइवेट कम्पनियां इस तरीके से जनता के साथ में ऐसा व्यवहार किस उद्देश्य के लिए करती है।	भूमि अधिग्रहण सम्बंधी कार्यवाही हेतु दर का निर्धारण कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू0 अ0 आगरा एवं मकानो का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग आगरा के द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय का प्रतिकर निर्धारण करने एवं प्रतिकर बढ़ाये या घटाये जाने एवं इस कार्यालय के किसी भी कर्मचारी का किसी किसान का शोषण करने का कोई औचित्य ही नहीं है।
3	उपरोक्त मान्यता प्राप्त कंपनी को इसलिए अधिकार प्राप्त किये जाते हैं कि यह गरीब मजदूर और वेवष परिवारों को इस तरह का शोषण कर सके।	इस कार्यालय द्वारा प्रतिकर वितरण की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस कार्यालय के किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी किसान का शोषण करने का कोई औचित्य ही नहीं है।
4	उपरोक्त ऐसे परिवार की गंभीर परिस्थितियों में मुआवजा कुछ अधिक मांगना क्या गुनाह करने के योग्य है जो कि कंपनी द्वारा पीडित परिवार को कुछ अधिक मुआवजा देना में काफी परेशान करना उसके बाबजूद भी मुआवजा न दिया जाना न्यायोचित है।	भूमि अधिग्रहण सम्बंधी कार्यवाही हेतु दर का निर्धारण कार्यालय अपरजिलाधिकारी भू0अ0 आगरा एवं मकानो का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग आगरा के द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय का प्रतिकर निर्धारण करने एवं प्रतिकर बढ़ाये या घटाये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है।
5	दिनांक 05.05.2017 के प्रार्थना पत्र की जाँच कार्यवाही प्रति व 29.05.2017 की जाँच कार्यवाही प्रति की रिपोर्ट प्रमाणित उपलब्ध कराने की कृपा करें।	उपरोक्त दोनो प्रार्थना पत्रों के जबाब प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पत्राचार के पते पर डाक के माध्यम से भेजे जायेंगे।
6	आपके विभाग में संबंधित प्रार्थना प्रार्थनी के आपके विभाग में अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए वो सभी प्रार्थना पत्र अन्य विभागों से लेकर आपके विभाग में पहुँचने के लिए किस किस तारीख में किन किन अधिकारियों के समक्ष होकर दिनांक वार लंबित व निलम्बित रहे किन नियमों के तहत का भी प्रमाण उपलब्ध करायें।	इस कार्यालय को प्रार्थी के 02 प्रार्थना पत्रों प्राप्त हुये जिनके जबाब इस कार्यालय द्वारा प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र के पत्राचार के पते पर डाक के माध्यम से भेजे जायेंगे।
7	उपरोक्त के संबंध में संबंधित नियमों के उल्लंघन व दोषी अधिकारियों के नाम व पद नाम बताने का कष्ट करें और उपरोक्त आचरण नियमावली उलघ्न करने वाले लोक सेवको के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी साक्ष्य सहित बतायें	भूमि अधिग्रहण सम्बंधी कार्यवाही हेतु दर का निर्धारण कार्यालय अपरजिलाधिकारी भू0अ0 आगरा एवं मकानो का मूल्यांकन लोक निर्माण



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

	कार्यवाही न होने के दषा में कारण नियम सहित स्पष्ट किये जाने का प्रमाण भी उपलब्ध कराये।	विभाग आगरा के द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय का प्रतिकर निर्धारण करने एवं प्रतिकर बढ़ाये या घटाये जाने एवं इस कार्यालय के किसी भी कर्मचारी का किसी किसान का शोषण करने का कोई औचित्य ही नहीं है।
8.	पूर्व में दिये गये समस्त आवदेन पत्रों पर किस स्तर के अधिकारियों के पास किस-स्थिति में किन-किन बिन्दुओं पर किन नियमों के अर्न्तगत लम्बित रहा उसका कारण स्पष्ट साक्ष्य सहित दें।	डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रेल परियोजना द्वारा जिला आगरा के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर वितरण सम्बंधी सभी कार्यवाही कार्यालय अपरजिलधिकारी भू0अ0 आगरा के यहाँ से की जाती है।
9.	यह कि उक्त भूमि अधिग्रहण का अभिलेख किन-किन अधिकारियों के पास किस रिकार्ड में रहता है एवं उस रिकार्ड का अधिकारियों पर क्या जिम्मेदारी रहती है। उन सभी विभागों के पत्राचार का पता जो भूमि का मुआवजा दिलाये जाने कि लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना के साथ विधिवत पूर्वक कार्यवाही को पूर्ण कर अधिग्रहण मुआवजा उपलब्ध कराते है। उनके पद नाम एवं पत्राचार का पता उपलब्ध करायें।	डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रेल परियोजना द्वारा जिला आगरा के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर वितरण सम्बंधी सभी कार्यवाही कार्यालय अपरजिलधिकारी भू0अ0 आगरा के यहाँ से की जाती है।
10.	यह कि उपरोक्त भूमि का मुआवजा सम्बंधी कार्यवाही किन-किन अधिकारियों के पास भेजी जाती है, और किस अधिकारी द्वारा अंतिम कार्यवाही पूर्ण की जाती है, कि मुआवजा बढ़ा कर दिया जाना उचित है अथवा अनुचित है। उनका नाम एवं पदनाम विभागीय कार्यवाही हेतु पत्राचार का पता उपलब्ध करायें।	डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रेल परियोजना द्वारा जिला आगरा के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर वितरण सम्बंधी सभी कार्यवाही कार्यालय अपरजिलधिकारी भू0अ0 आगरा के यहाँ से की जाती है।
11.	यह कि प्रथम अपीलीय जनसूचना अधिकारी व द्वितीय अपीलीय जनसूचना अधिकारी का नाम व पदनाम व पत्राचार का पूर्ण पता प्रार्थी को उपलब्ध करायें।	—



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, प्रगति मैदान
मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग, पांचवी मंजिल, नई दिल्ली-110001 जिन्हें इस उत्तर के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस सूचना आवेदन के
संबंध में निःशुल्क अपील की जा सकती है।

(तेजपाल चावला)

(Tejpal Chawla)

उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई

DGM/Admin/RTI

cctc CPM Agra